बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना–02 एवं 04 के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3382 दिनांक–03.08.2016 द्वारा कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन संबंधी चार (04) आरोपों के संबंध में प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2502 दिनांक–19.08.2016 एवं विभागीय पत्रांक–3099 दिनांक–28.10.2016 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनका स्पष्टीकरण तत्समय विभाग को अप्राप्त रहा। इस बीच श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–4557 दिनांक–25.10.2016 द्वारा श्री रंजन की अनुपस्थिति के संबंध में उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के विभिन्न पत्रों की प्रति संलग्न करते हुए अनुशंसा की गई कि उनके विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के साक्ष्य के रूप में इसे भी शामिल किया जाय। श्रमायुक्त, बिहार के पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–12 दिनांक–02.01.2017 एवं अन्य अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री रंजन से समेकित रूप से स्पष्टीकरण की मांग की गई। कार्यालय, उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर पत्रांक–2267 दिनांक–06.09.2017 द्वारा श्री रंजन का समेकित स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त हुआ। श्री रंजन के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री राजीव रंजन ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों पर तथ्यात्मक जबाव देने के बजाय अपने वरीय पदाधिकारियों पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्य करने का आरोप लगाया है एवं इसके संबंध में उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इस तरह श्री राजीव रंजन के स्पष्टीकरण को तथ्यात्मक न पाते हुए विभागीय पत्रांक–3619 दिनांक–22.12.2017 द्वारा उन्हें दिनांक–02.01.2018 को प्रधान सचिव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। दिनांक–02.01.2018 को प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थित होकर उनके द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई कि उन्होंने जो लिखकर दिया है उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं कहना है। श्री राजीव रंजन दिनांक–02.01.2018 को प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा यह बचाव बयान दिया गया कि उन्होंने जो लिख कर दिया है उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं कहना है एवं उनका स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थिति के समय कार्यालय, उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक–02 दिनांक–02.01.2018 द्वारा एक लिखित बयान भी दिया जिसमें अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का बिंदुवार जवाब देने या बचाव करने के स्थान पर केवल अपने वरीय पदाधिकारियों पर दोषारोपण किया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक–114 दिनांक–15.01.2018 द्वारा श्री राजीव रंजन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के अंतर्गत लघु दण्ड हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना–02 एवं 04 के विरूद्ध एक अन्य मामले में श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–493, दिनांक–10.02.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि मुजफ्फरपुर जिला में Bihar Shops and Establishment Act, 1953 के अंतर्गत दिनांक–16.01.2017 तक ऑनलाईन निबंधन शुरू होने से पहले कुल 21135 निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मात्र 571 दुकानों/प्रतिष्ठानों का डाटा ऑनलाईन प्रविष्ट किया गया, जो कुल का मात्र 2.70% अर्थात् 10% से कम है। विभागीय अधिसूचना संख्या–256 दिनांक–17.01.2017 द्वारा श्री रंजन के श्रम अधीक्षक, पटना–2 एवं 4 के रूप में पदस्थापित होने के उपरांत श्रमायुक्त द्वारा भेजे गए प्रपत्र 'क' को अल्पसंशोधित करते हुए विभागीय पत्रांक–665 दिनांक–20.03.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। विभिन्न अनुवर्ती पत्रों एवं ई–मेल द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद श्री राजीव रंजन का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम

प्राधिकार के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–367 दिनांक–09.02.2018 द्वारा उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के अंतर्गत लघु दण्ड हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई।

3. उक्त दोनों मामलों में कार्यालय, उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक–1783 दिनांक–04.07.2018 द्वारा समेकित रूप से दिये गए स्पष्टीकरण में श्री राजीव रंजन ने उल्लेख किया कि उन्होंने अपने बचाव में साक्ष्य सहित जबाव पूर्व में ही दिया है एवं इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय से मिलकर मौखिक रूप से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है तथा उनके विरूद्ध सभी आरोप निराधार है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में दिया गया उनका जबाव का आशय कार्यालय, उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर पत्रांक–2267 दिनांक–06.09.2017 द्वारा श्री रंजन का समेकित स्पष्टीकरण से है। Bihar Shops and Establishment Act, 1953 के अंतर्गत निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के ऑनलाईन निबंधन में शिथिलता के लिए कार्यालय; उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर पत्रांक–2267 दिनांक–06.09.2017 द्वारा श्री रंजन का समेकित स्पष्टीकरण में ही श्री राजीव रंजन ने बचाव बयान दिया है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा असहयोग करने के कारण दुकानों/प्रतिष्ठानों की ऑनलाईन इंट्री नहीं हो पाया। उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा न तो वाहन की सुविधा दी गई एवं न ही कोई राशि दी गई। स्वयं के पैसे से उन्होंने ऑनलाईन इंट्री कराने का प्रयास किया परन्तु उप श्रमायुक्त द्वारा इसे भी विफल कर दिया गया ताकि प्रपत्र 'क' गठित किया जा सके। श्री राजीव रंजन ने यह भी उल्लेख किया कि बिहार के 38 जिलों में से जानबूझ कर मुजफ्फरपुर को 571 इंट्री करने के बावजूद 37वें स्थान पर रखा गया जबकि संख्या के हिसाब से गणना करने पर मुजफ्फरपुर का रैंक 23वाँ आ रहा है।

4. उक्त दोनों मामलो में प्राप्त श्री राजीव रंजन की स्पष्टीकरण की समेकित समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में श्री राजीव रंजन द्वारा बिन्दुवार बचाव बयान देने के बजाय केवल वरीय पदाधिकारी के ऊपर दोषारोपण करने के कारण उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया एवं शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आरोपित पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक–2289 दिनांक–25.09.2018 द्वारा सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त तिथि को श्री राजीव रंजन माननीय मंत्री के समक्ष उपस्थिति हुए जिसमें उनका पक्ष सुना गया। अंत में श्री राजीव रंजन के स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के लिए उनके विरूद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना–02 एवं 04 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत लघु दण्ड स्वरूप एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना–02 एवं 04 को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आरोप पत्र साक्ष्य सहित प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

(सुधा रानी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

sankalp73
sankalp73

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–12 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह० / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–12 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–12 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

नेबंधित / स्पीड

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–12 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री राजीव रंजन, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पटना–02 एवं 04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–12 / 2017 श्र०सं०– 2518 पटना, दिनांक– 01/11/2018

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना / विशेष सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / लोक सूचना पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष) / आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.18
विशेष कार्य पदाधिकारी
23/10/18